

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

खाटू प्याम के भजनों से सराबोर हुआ बरबड़ हनुमान मेला रतलाम 16 अप्रैल । नगर निगम द्वारा आयोजित तीन दिवसीय बरबड़ हनुमान मेले में बीती रात्री में निगम रंगमंच पर आयोजित खाटू प्याम की भजन संध्या में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया।

भजन संध्या की शुरुआत सांवरे की मित्रता दरबार समिति द्वारा बाबा का अलौकिक श्रृंगार व बाबा प्याम की ज्योत प्रज्वलन से किया गया इसके बाद भजन गायक जीतू नारायण यादव द्वारा दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से ऐसे एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को देर रात तक रोके रखा।

प्रारंभ में पूर्व पार्शद श्री प्रहलाद पटेल ने भजन गायक जीतू नारायण यादव साथी कलाकार गोपाल कुमावत, रोहन सोनी, बाबू राठौर, योगेश परिहार नकूल बैरागी, राजेश पंडित आदि का स्वागत पुशपहारों से किया।

सीएम हेल्प लाईन शिकायत के निराकरण में लापरवाही बरतने पर 15 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 16 अप्रैल । सीएम हेल्प लाईन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार बी.एल. चावरे, गोपाल झालीवाल, सुनील कपूर कैलाश गेहलोत, राजेन्द्रसिंह गेहलोत, विराट मेहरा, हरेष जोषी, अनिल सूर्यवंशी, अनिल माली, मोहित सोनी, शुभम् राठौर, सावन हाड़े, विक्रम गेहलोत, अमरिष शर्मा व बालकिषन गौड़ का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

उक्त कर्मचारियों द्वारा शिकायतों के निराकरण हेतु कोई प्रयास नहीं किये जा रहे थे साथ ही शिकायतों को अटेंड नहीं करवाया जा रहा था, शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में दर्ज नहीं किये जाते था तथा शिकायतों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों से संपर्क नहीं किया जाता था।

प्रकाश विभाग प्रभारी सहित समस्त स्टाँफ का एक दिवस का वेतन काटा रतलाम 16 अप्रैल । प्रताप नगर से आनन्द मॉल होते हुए डी मार्ट की ओर जाने वाले रास्ते पर नगर निगम द्वारा लगाये गये पाले में से एक पोल सड़क पर गिरा पाया गया व इसकी खबर समाचार-पत्र में भी प्रकाशित होने व निर्देश के बाद भी पोल को तत्काल स्थापित नहीं किये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार प्रकाश विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य सहित प्रकाश विभाग के समस्त स्टाँफ का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

16 अप्रैल शनिवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 253 ट्रीप 108 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा 5 से अधिक ट्रीप लगाने वाले ड्रायवर व हैल्परों का होगा सम्मान रतलाम 16 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 16 अप्रैल शनिवार को 108 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

16 अप्रैल शनिवार को डम्पर से 29800 किलो, टेक्टर से 8260 किलो, मैजिक सूखा कचरा 47700 किलो, मैजिक गीला कचरा 22240 किलो, सेनेटरी वेस्ट 2.5 किलो व हानिकारक कचरा 1 किलो इस तरह कुल 108003.5 किलो कचरा जुलवानिया टेक्टर चिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

गंदगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 6 व्यक्तियों पर जुर्माना रतलाम 16 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैं, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 16 अप्रैल शनिवार को 6 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गोविन्दसिंह, रोहित, प्रकाश व रियाज मोहम्मद पर 500-500, हार्दिक रेस्टोरेंट व मोहम्मद हसन पर 250-250 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीश झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

26 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 16 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 16 अप्रैल को प्रातः 17 व दोपहर में 9 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पूरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

16 अप्रैल गुरुवार को झोन क्रमांक 1 में विकी-दिनेश, अजय-विनोद, बादल-दिलीप, राकेश-रतनलाल, रवि-रमेश, झोन क्रमांक 2 में नरेन्द्र-पप्पू, नितिन-कमल, रमेश-मुंषी, महेन्द्र-नेहरू, विनोद-भेरूलाल, राकेश-रामप्रसाद, तेजाबाई, झोन क्रमांक 3 में मधुबाई पति बाबुलाल, शुभम्-राजू, झोन क्रमांक 4 में सुनिताबाई पति शिव, महेश-छोट्ट, प्रहलाद-रामु, दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में सुनील-ष्यामलाल, मंजूबाई पति राधाकिशन, लताबाई पति संजय, ष्यामाबाइ पति कन्हैयालाल, दीपक-अन्नी, शिवकन्या पति रमेश, पूर्णिमाबाई पति चरण, अरुणाबाई पति रामसिंह व उशाबाई पति मनोहर इस तरह 26 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्त/निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।

कचरा संग्रहण वाहन के 2 चालकों का 7 दिवस का वेतन काटा

रतलाम 16 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार बिना सूचना के 16 अप्रैल शनिवार को अनुपस्थित कचरा संग्रहण वाहन के चालक रूपेण चावरे व कैलाष परमार का सात दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

रात्रिकालिन सफाई के 5 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 16 अप्रैल । शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 15 अप्रैल को निरीक्षण किये जाने पर 5 कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये। 15 अप्रैल शनिवार को रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान मोहित-प्रभुदयाल, सन्नी-मुकेश, मंगल-बाबुलाल, अमित-बालकिषन व चंचल-बसंतीलाल द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन (कम्पाउडिंग)

30 जून तक प्रषमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 16 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन

(कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन (कम्पाउडिंग) 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 16 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री

बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिष्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही रतलाम 16 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा प्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने प्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने प्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 16 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है। पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 16 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 16 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/16.04.2022/न.पा.निगम, रतलाम.